तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	127/2020 बलराम / गणपत	
25/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप। वकील अपीलार्थी श्री हालाल सिंह ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपील को वापस लिये जाने व आगे नही चलाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अत: वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील वापस लिये जाने व आगे नही चलाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली केवल जमा होकर बाद पूर्ति नम्बर से कम होकर लेख भण्डार को/ऑफिस भिजवाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	बलराम चौधरी 25/01/2021 [illegible] Harkaran 25/1/2021 [illegible] Pelent filed [illegible] 25/1/21

Reader
Presented by
Ad. Harlal Singh
on
9/11/20

2020/00402

समक्ष न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर सम्भाग जयपुर

अपील एल0आर0 एक्ट 127/2020

बलराम लोछिब दत्तक पुत्र स्व0भूरा,जाति जाट, निवासी सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1– गणपत पुत्र सुन्दरी पुत्र पूराराम,पुत्र नानू, जाति जाट निवासी ग्राम हिंगोनिया, तहसील आमेर जिला जयपुर (राज0) हाल निवासी ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

2– तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध नामान्तकरण सं0 2867 द्वारा तहसीलदार
श्रीमाधोपुर दिनांक 09–10--2020 ग्राम सरगोठ
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदक है :–

(1) यहकि रेस्पोडेन्ट सं0–1 गणपत ने दिनांक 01–06–2020 को जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं0 2316, 2322, 2323, 2324, 2325 कुल रकबा 13.53 हैक्टयर तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)के हिस्सा 1/4 भाग की खातेदारी भूरा पुत्र महादेव के नाम चली आ रही है उक्त भूरा की मृत्यु हो चुकी है, उक्त भूरा पुत्र महादेव ने अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित करते हुए उक्त भूमि का अपनी मृत्यु के बाद बतौर

बलराम लोछिब